

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, राँची-834001**

**विज्ञापन**

विज्ञापन संख्या-01/2020

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2017, 2018 एवं 2019**

वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिए संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) विहित-प्रपत्र (आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. पदों का विवरण:-

सारिणी-1

क्र० सं०	विभाग/ पद का नाम	कुल पद	अनारक्षित	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ					क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
				अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूद	दिव्यांग			(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	उप समाहर्ता (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)	82	32	27	08	04	03	08	01	04	02	01	01	01	01
2.	सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी (नगर विकास एवं आवास विभाग)	65	27	17	06	05	04	06	00	03	00	01	01	01	00
3.	झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	39	19	07	02	07	01	03	00	02	01	00	00	01	01

4.	नियोजन पदाधिकारी/ जिला नियोजन पदाधिकारी (श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग)	07	05	00	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5.	पुलिस उपाधीक्षक (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)	40	20	10	04	02	01	03	00	00	00	00	00	00	00	00
6.	जिला समादेष्टा (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)	16	09	03	02	00	01	01	00	01	00	00	00	00	00	00
7.	सहायक योजना पदाधिकारी (योजना-सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग))	18	08	04	02	02	01	01	00	01	00	00	01	00	00	00
कुल		267	120	68	24	22	11	22								

नोट:- (क). कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापांक-5555 दिनांक-28.06.2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्ति में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध रहेगा।

(ख). सेवाओं/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान
1	पुलिस उपाधीक्षक	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
2	उप समाहर्ता	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
3	जिला समादेष्टा	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
4	झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
5	सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी	9300 - 34800 ग्रेड पे - 5400
6	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	9300- 34800 ग्रेड पे - 4800
7	सहायक योजना पदाधिकारी	9300- 34800 ग्रेड पे - 4800

3. शैक्षणिक योग्यता:- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोट:- झारखण्ड योजना सेवा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान अथवा सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

4. उम्र गणना की तिथि:-संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018 एवं 2019 हेतु उम्मीदवारों के न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि-01.08.2019 एवं अधिकतम उम्र की गणना 01.08.2011 के आधार पर की जाएगी।



5. उम्र सीमा:-

- (क) अनारक्षित- अधिकतम 35 वर्ष।  
 (ख) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)- अधिकतम 40 वर्ष।  
 (ग) पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)- अधिकतम 37 वर्ष।  
 (घ) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)-अधिकतम 38 वर्ष।  
 (ड.) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी। निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होंगे एवं उन्हें उम्र सीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी।  
 (च) दिव्यांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त) उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट दी जायेगी।  
 (छ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

नोट:-

- (i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, जिला समादेष्टा, सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2, सहायक योजना पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है।  
 (ii) पुलिस उपाधीक्षक के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष निर्धारित है।

6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-8315 दिनांक-16.09.2015 के अनुसार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गयी है।

7. आरक्षण का लाभ :-

(a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(c) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झापांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(v) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के झापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(vi) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।



8. पुलिस उपाधीक्षक/जिला समादेष्टा पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता—
- (क) अनारक्षित/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई—165 सेमी०।  
 (ख) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई—162 सेमी०।  
 (ग) अनारक्षित/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई—155 सेमी० तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई—152 सेमी०।  
 (घ) सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 सेमी० तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 सेमी० होगी।
9. चिकित्सकीय जाँच:—नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक एवं झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप परिशिष्ट—क में निर्धारित है।

(परिशिष्ट—क)

पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी:—

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगा:—

- (क) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।  
 (ख) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए।  
 (ग) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो।  
 (घ) शारीरिक अपंगता न हो।  
 (ङ) उम्मीदवार Claw Hand से ग्रसित न हो।  
 (च) उम्मीदवार एच०आई०वी० मुक्त हो।  
 (छ) पुरुष उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 होना चाहिए।  
 (ज) उम्मीदवार को वर्णांधता (Colour blindness) एवं निशांधता (Night blindness) न हो।  
 (झ) रूटीन ई०सी०जी० तथा ई०ई०जी० सामान्य सीमा में हो।  
 (ञ) उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो।  
 (ट) हाईड्रोसील, बेरिकोसिल या पाईल्स का रोग नहीं होना चाहिए।  
 (ठ) चर्म का ऐसा रोग, जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

10. परीक्षा का स्वरूप:-चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित) एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

(A) प्रारंभिक परीक्षा :-प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर संसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 गुणा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनाव (Shortlisting) किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा दो पत्रों की होगी जिनका पूर्णांक 200-200 (कुल चार सौ) होगा। इनके प्राप्तांक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़ा नहीं जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पत्रों की परीक्षा ओ0एम0आर0 आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में OMR ठीक ढंग से भरना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् आयोग के वेबसाईट [www.jpssc.gov.in](http://www.jpssc.gov.in) पर उपलब्ध है :-

### **SYLLABUS FOR THE PRELIMINARY TEST OF COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- 2017/2018/2019**

The Preliminary Examination shall consist of two compulsory papers, each of 200 marks namely,

- (i) **General Studies Paper-I**
- (ii) **General Studies Paper-II**

**Both the question papers shall be of multiple choice, objective type.**

The question papers will be set both in Hindi and English. However, questions set to test the comprehension skill and knowledge of language and grammar shall be only in the concerned language, without providing Hindi or English translation thereof.

#### **General Studies Paper-I**

**Total Marks:200**

**Time: 2 hours**

This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>(A) <u>History of India:</u></b>              | <b>15 Questions</b> |
| 1. Ancient India                                 | (5 questions)       |
| 2. Medieval India                                | (5 questions)       |
| 3. Modern India                                  | (5 questions)       |
| <br>   |                     |
| <b>(B) <u>Geography of India:</u></b>            | <b>10 Questions</b> |
| 1. General Geography                             | (3 questions)       |
| 2. Physical Geography                            | (3 questions)       |
| 3. Economical Geography                          | (2 questions)       |
| 4. Social & Demographic Geography                | (2 questions)       |
| <br>   |                     |
| <b>(C) <u>Indian Polity and Governance:</u></b>  | <b>10 Questions</b> |
| 1. Constitution of India                         | (4 questions)       |
| 2. Public Administration and Good Governance     | (4 questions)       |
| 3. Decentralization: Panchayats & Municipalities | (2 questions)       |



- (D) Economic and Sustainable Development: 10 Questions**
1. Basic features of Indian Economy (4 questions)
  2. Sustainable Development and Economic issues (4 questions)
  3. Economic Reforms and Globalization (2 questions)
- (E) Science & Technology: 15 Questions**
1. General Science (6 questions)
  2. Agriculture & Technology Development (6 questions)
  3. Information & Communication Technology (3 questions)
- (F) Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture & Heritage :) 10 Questions**
- (G) National & International Current Events : 15 Questions**
- (H) General Questions of Miscellaneous nature, not requiring subject specialization, such as, : 15 Questions**
1. Human Rights
  2. Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change
  3. Urbanization
  4. Sports
  5. Disaster Management
  6. Poverty and Un-employment
  7. Awards
  8. United Nations and other International Agencies

### General Studies Paper-II

पूर्णांक :200

समय :2 घण्टे

इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक/वस्तुपूरक (Objective types) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

- A. झारखण्ड का इतिहास:- 8 प्रश्न 8 x 2 = 16
- |                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| (क) मुण्डा शासन व्यवस्था       | — | (1 प्रश्न) |
| (ख) नागवंशी शासन व्यवस्था      | — | (1 प्रश्न) |
| (ग) पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था | — | (1 प्रश्न) |
| (घ) मांझी परगना शासन व्यवस्था  | — | (1 प्रश्न) |
| (ङ) मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था | — | (1 प्रश्न) |
| (च) ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था  | — | (1 प्रश्न) |
| (छ) जातीय पंचायत शासन व्यवस्था | — | (2 प्रश्न) |

B.	झारखण्ड आन्दोलन :-		7 प्रश्न 7 x 2 = 14
	(क) झारखण्ड के सदान	—	(1 प्रश्न)
	(ख) झारखण्ड के आदिवासी	—	(1 प्रश्न)
	(ग) झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी	—	(1 प्रश्न)
	(घ) झारखण्ड के विभूति	—	(2 प्रश्न)
	(ङ) झारखण्ड आन्दोलन एवं राज्य गठन	—	(2 प्रश्न)
C.	झारखण्ड की विशिष्ट पहचान :-		5 प्रश्न 5 x 2 = 10
	(क) झारखण्ड की सामाजिक स्थिति	—	(1 प्रश्न)
	(ख) झारखण्ड की सांस्कृतिक स्थिति	—	(1 प्रश्न)
	(ग) झारखण्ड की राजनीतिक स्थिति	—	(1 प्रश्न)
	(घ) झारखण्ड की आर्थिक स्थिति	—	(1 प्रश्न)
	(ङ) झारखण्ड की धार्मिक विशिष्टताएँ एवं पहचान	—	(1 प्रश्न)
D.	झारखण्ड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति:-		5 प्रश्न 5 x 2 = 10
	(क) लोक साहित्य	—	(1 प्रश्न)
	(ख) पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य	—	(1 प्रश्न)
	(ग) लोक संगीत एवं वाद्य	—	(1 प्रश्न)
	(घ) दर्शनीय स्थल—प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक स्थल	—	(1 प्रश्न)
	(ङ) आदिवासी—जाति—प्रजाति एवं विशेषताएँ	—	(1 प्रश्न)
E.	झारखण्ड की साहित्य और साहित्यकार		5 x 2 = 10
	झारखण्ड की साहित्य एवं साहित्यकार	—	(5 प्रश्न)
F.	झारखण्ड के प्रमुख शिक्षण संस्थान		3 x 2 = 6
	प्रमुख शिक्षण संस्थान	—	(3 प्रश्न)
G.	झारखण्ड के खेल—कूद	— (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10
H.	झारखण्ड के भूमि सम्बन्धी कानून/अधिनियम :-		12 x 2 = 24
	(क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (C.N.T.)	—	(5 प्रश्न)
	(ख) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (S.P.T.)	—	(5 प्रश्न)
	(ग) अन्य राज्य परक अधिनियम	—	(2 प्रश्न)
I.	1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखण्ड का भूगोल— जंगल, नदी, पहाड़—पर्वत, खान—खनिज आदि —	(10 प्रश्न)	10 x 2 = 20
J.	झारखण्ड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ	— (6 प्रश्न)	6 x 2 = 12
K.	झारखण्ड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास	— (5 प्रश्न)	5 x 2 = 10



- L. झारखण्ड की प्रमुख योजनाएँ एवं उपयोजनाएँ – (5 प्रश्न) 5 x 2 = 10
- M. झारखण्ड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य – (5 प्रश्न) 5 x 2 = 10
- N. झारखण्ड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन (Mitigation) एवं अनुकूलन (Adaptation) संबंधी विषय – (7 प्रश्न) 7 x 2 = 14
- O. झारखण्ड में आपदा प्रबंधन – (5 प्रश्न) 5 x 2 = 10
- P. झारखण्ड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएँ – (7 प्रश्न) 7 x 2 = 14

(B) मुख्य परीक्षा :- मुख्य परीक्षा 06 (छः) पत्रों की होगी जिसका कुल पूर्णांक 1050 होगा। मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-

MAIN EXAMINATION (No optional subjects. All are common compulsory Papers)			
Subject	Duration	Full Marks	Remarks
<b>Paper-I:</b> General Hindi & General English, having two separate sections on (i) General Hindi, and (ii) General English, each of 50 marks	3 hours	100	DESCRIPTIVE TYPE This paper is qualifying in which minimum 30 marks is mandatory
<b>Paper-II:</b> Language and Literature: Under this paper, every candidate will have to opt for one Language and Literature out of fifteen listed by the Commission.	3 hours	150	DESCRIPTIVE TYPE
<b>Paper-III:</b> Social Sciences, having two distinct sections on (i) History (ii) Geography, each of equal weightage.	3 hours	200	AS ABOVE
<b>Paper-IV:</b> Indian Constitution & Polity, Public Administration & Good Governance	3 hours	200	AS ABOVE
<b>Paper-V:</b> Indian Economy, Globalization and Sustainable Development	3 hours	200	AS ABOVE
<b>Paper-VI:</b> General Sciences, Environment & Technology Development	3 hours	200	AS ABOVE

1. These papers are common to all candidates.

2. The detailed syllabus of all above six papers including preliminary exam papers is separately available on JPSC's website, [www.jpssc.gov.in](http://www.jpssc.gov.in)

नोट:—प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार आयोग द्वारा सूचीबद्ध भाषा एवं साहित्य (द्वितीय पत्र) में से एक ही विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जो निम्नवत् है:—

Sl.No.	Language & Literature
1	Oriya Language & Literature
2	Bangali Language & Literature
3	Urdu Language & Literature
4	Sanskrit Language & Literature
5	English Language & Literature
6	Hindi Language & Literature
7	Santhali Language & Literature
8	Panchpargania Language & Literature
9	Nagpuri Language & Literature
10	Mundari Language & Literature
11	Kurux Language & Literature
12	Kurmali Language & Literature
13	Khortha Language & Literature
14	Khadia Language & Literature
15	Ho Language & Literature

(C) साक्षात्कार :- मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार (Interview) आयोजित किया जायेगा।

नोट:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8315 दिनांक-16.09.2015 के आलोक में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक-7358 दिनांक-19.09.2019 के आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है जिन्हें प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे:—

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत

नोट:— मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी) में सभी कोटि के उम्मीदवारों को 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



12. **मेधा सूची** :-उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी ; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अंतिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा। संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात् अन्तर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाई जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

13. **कदाचार (Misconduct)** के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
  - (b) Impersonating, or
  - (c) Procuring impersonation by any person, or
  - (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
  - (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
  - (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
  - (g) Using unfair means during the test, or
  - (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
  - (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
  - (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
  - (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
  - (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    - (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
    - (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
    - (iii) Canvassing in any form written or otherwise effecting examination process will disqualify a candidate.
14. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।



## 15. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpssc.gov.in](http://www.jpssc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

नोट:- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

## 16. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

- (क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpssc.gov.in](http://www.jpssc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number, E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number, E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
- (ङ.) इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।



- (ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे की सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (ञ) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ट) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.- 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ठ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
1. 0651-2220111
  2. +919431301636
  3. +919431301419
- (ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (ढ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ण) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (द) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ध) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (न) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

- (प) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (फ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ब) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-01.03.2020 से दिनांक-30.03.2020 अपराह्न 5:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-30.03.2020 के बाद दिनांक-01.04.2020 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।